फोन : 0522-4323838
9839392275

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ – 226006
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org
रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 1-9407/1959-1960

मुख्य संरक्षक	उप मुख्य संरक्षक	अध्यक्ष	मुख्यायुक्त
माननीय श्री राज्यपाल उ० प्र०	**माननीय मुख्यमंत्री** उ० प्र०	**डा०महेन्द्र सिंह** माननीय मंत्री "जल शक्ति" उ० प्र०	**डा० प्रभात कुमार** आई०ए०एस०(से०नि०) पूर्व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक संख्या – T.S.–46....../ ..1768..../2021-22 **दिनांक** ..27 मार्च 2022

प्रेषक,

प्रादेशिक मुख्यायुक्त,
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
समस्त जिला सचिव,भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।

विषयः–बी0एड0 / डी0एल0एड0 संस्थानों में अध्ययनरत छात्राध्यापक / छात्राध्यापिकाओं के अनिवार्य स्काउटिंग / गाइडिंग प्रशिक्षण के अन्तर्गत स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रादेशिक मुख्यालय के पूर्व में निर्गत परिपत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संस्थानों में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। जिसके अनुक्रम में दिनांक 07.03.2022 को पत्रांक–सी0जी0–98 / 1654 / 2021–22 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

वह समस्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए नये दिशा निर्देश संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। प्रारम्भ में इन निर्देशों का कियान्वयन मैनुअल रूप से संचालित होगा जो शनैः शनैःपूर्णतया आनलाइन कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि निर्गत दिशा निर्देशों का गम्भीरता से अवलोकन करते हुए कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। **(संलग्न दिशा निर्देश 3 पृष्ठ)**

भवदीय,

26/03/2022

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त कुल सचिव राज्य विश्व विद्यालय,उ0प्र0।
2. समस्त प्रादेशिक आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
3. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0।
4. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
5. प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) को इस निर्देश के साथ कि निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं।
6. प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
7. समस्त जिला मुख्यायुक्त / जिला आयुक्त (स्काउट / गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
8. समस्त जिला प्रशिक्षण / संगठन आयुक्त(स्काउट / गाइड) भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।
9. समस्त जिला स्काउट मास्टर (बेसिक)जिला गाइड कैप्टन (बेसिक) उ0प्र0।
10. समस्त डी0एल0एड0 / बी0एड0 संस्थान,उ0प्र0।
11. आई0टी0 सेल को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

26/03/2022

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0

स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स (बी0एड0 / डी0एल0एड0)के आयोजन हेतु निर्देश बिन्दुः–

1. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स बी0एड0 / डी0एल0एड0 प्रशिक्षार्थियों हेतु निर्धारित है। जिसका पाठ्यक्रम प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा पृथक से निर्धारित है। **(संलग्न पाठ्यकम) 'अ'**
2. इस कोर्स में प्रशिक्षक के दायित्व का निर्वहन प्रथमतया लीडर ट्रेनर या सहायक लीडर ट्रेनर योग्यताधारी द्वारा ही किया जायेगा।
3. जिस जनपद में लीडर ट्रेनर या सहायक लीडर ट्रेनर योग्यताधारी प्रशिक्षक उपलब्ध नही होगे,वहॉ पर अनुभवी हिमालय उडबैज योग्यताधारी प्रशिक्षक का दायित्व निर्वहन करेगें।
4. प्रशिक्षक नियुक्ति हेतु प्रत्येक जनपद में योग्यताधारी प्रशिक्षकों का एक समूह जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट / गाइड के द्वारा ए0एस0ओ0सी0 के समन्वय से तैयार कर प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट / गाइड के अनुमोदित के उपरान्त ए0एस0ओ0सी0 को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रादेशिक स्तर से प्रत्येक जनपदवार लीडर ट्रेनर सहायक लीडर ट्रेनर एवं हिमालय उडबैज होल्डर (जिन्होने री–यूनियन में प्रतिभाग किया) की सूची प्रेषित की जायेगी जो संस्था के वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
5. इस प्रकार अनुमोदित सूची में वर्णित प्रशिक्षकों के माध्यम से ही जनपद में स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स / बिगिनर्स कोर्स सम्पन्न किये जायेगें।
6. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स के आयोजन हेतु शिविर तिथि अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति हेतु अनुरोध पत्र सम्बन्धित मण्डल के ए0एस0ओ0सी0 को सम्बोधित किया जायेगा। जिसकी प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) तथा जिला संस्था के जिला सचिव / जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट / गाइड को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।
7. संस्थान द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त होते ही शिविर अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति की कार्यवाही मण्डलीय ए0एसओ0सी0 द्वारा करते हुए सम्बन्धित जनपद के जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट / गाइड को एवं सम्बन्धित संस्थान एवं प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट / गाइड को सूचित कर दिया जायेगा।
8. इस प्रकार अनुमन्य तिथि एवं नियुक्ति प्रशिक्षकों के द्वारा सम्पन्न कराये गए शिविर के सापेक्ष ही प्रादेशिक मुख्यालय से प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेगें।
9. प्रशिक्षण शिविर से सम्बन्धित सूची में प्रतिभागी का नाम, पिता / माता / पति का नाम, आधार नं0 अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। **(प्रारूप संलग्न)**
10. सम्बन्धित सूची संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के साथ प्रशिक्षक मण्डल के हस्ताक्षर, जिसमें प्रशिक्षक मण्डल का सम्पूर्ण योग्यता विवरण होगा,निर्धारित शुल्क के साथ ए0एस0ओ0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. मण्डलीय ए0एस0ओ0सी0 आनलाइन शुल्क जमा होने के प्रमाण एवं सूची प्राप्त करते ही तत्काल प्रमाणपत्र निर्गमन हेतु प्रादेशिक मुख्यालय को आनलाइन ट्रान्सफर करते हुए सूची मेल / डाक द्वारा प्रेषित करेगें।
12. शुल्क एवं सूची प्राप्त होते ही अधिकतम 15 कार्यदिवस के भीतर प्रमाणपत्र सम्बन्धित संस्थान को प्रेषित करते हुए सूचना से जिला संस्था एवं मण्डलीय ए0एस0ओ0सी0 को अवगत करा दिया जायेगा।
13. आकस्मिकता की स्थिति में संस्थान जिला संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रादेशिक मुख्यालय से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेगें। परन्तु इस हेतु यह आवश्यक होगा कि जनपद संस्था के शुल्क जमा की रसीद का प्रमाण साथ में हो **तथा बिन्दु 3 से 8 तक में दिये गये निर्देश बिन्दुओं का अनुपालन हुआ हो।**

14. प्रत्येक कोर्स में न्यूनतम दो प्रशिक्षक (एक महिला एक पुरूष) और अधिकतम 4 प्रशिक्षक (महिला प्रशिक्षक/पुरूष प्रशिक्षक का अनुपात संस्था के प्रतिभागी संख्या के आधार पर) ही नियुक्त होगे।
15. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु समयावधि 5 दिन की होगी।
16. कोर्स में प्रतिभागी संस्थान के गणवेश में ही प्रतिभाग करेगें।
17. केवल स्कार्फ एवं वागेल शिविर अवधि में पहनना अनिवार्य होगा,जिसकी आपूर्ति हेतु संस्थान जिला संस्था/प्रादेशिक मुख्यालय/मण्डलीय ए0एस0ओ0सी0 से सहयोग प्राप्त कर सकेगे।
18. प्रशिक्षण शिविरों की अनुमन्यता का कार्य सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र अर्थात् जुलाई से जून की अवधि में किये जायेगे। शत् प्रतिशत सफलता के लिए प्रत्येक तीन माह का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य किया जायेगा जो निम्नवत् होगा।

(क)–जुलाई से सितम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 25 प्रतिशत्।
(ख)–अक्टूबर से दिसम्बर तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 35 प्रतिशत्।
(ग)–जनवरी से मार्च तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 20 प्रतिशत्।
(घ)–अप्रैल से जून तक सम्पूर्ण संस्थानों की संख्या का 10 प्रतिशत्।

19. केवल अपरिहार्य स्थिति में संस्थान के अनुरोध पत्र इस अवधि से इतर शिविर तिथियां अनुमन्य होगी।
20. स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु नियुक्त प्रशिक्षकों को मानदेय एवं मार्ग व्यय का भुगतान संस्थान अंश में प्राप्त धनराशि से संस्थान द्वारा किया जायेगा।
21. **स्पेशल इन्ट्रोडक्ट्री कोर्स हेतु निम्न विवरणानुसार शुल्क लिया जायेगा और उसका व्यय किया जायेगा।**

(क)–शिविर शुल्क–रू0–500/–प्रति प्रतिभागी।(जिसका वितरण निम्नवत् होगा)

प्रदेश अंश –रू0–150/–प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे प्रदेश के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
जिला अंश –रू0–100/–प्रति प्रतिभागी संस्थान द्वारा सीधे जिले के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
संस्थान अंश–रू0–250/–प्रति प्रतिभागी।

(ख)–प्रशिक्षकों को संस्थान अंश से मानदेय का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया जायेगा:–

(अ) लीडर ट्रेनर– रू0–600/प्रति दिन । **(ब)** सहायक लीडर ट्रेनर –रू0–550/–प्रति दिन।
(स) हिमालय उडबैज होल्डर –रू0–500/प्रति दिन। **(द)** मार्ग व्यय रू0–100/–प्रतिदिन की दर से
(य)–प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षकों के आवश्यक आतिथ्य सत्कार का दायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

22. **प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान को प्रादेशिक संस्था का संस्थागत सदस्य बनाये जाने के लिए प्रति संस्थान रू0–5000/के साथ आवेदन पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। शिविर अनुमन्यता एवं प्रशिक्षक नियुक्ति के समय इस बिन्दु का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।**
23. प्रमाणपत्र लिखकर ही वितरित किये जायेगें/आनलाइन प्रतिभागी द्वारा दिये गये ई0मेल पर उपलब्ध करा दिये जायेगें।
24. डी0एल0एड0 शिविरों हेतु प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।
25. बी0एल0एड0(बी0एड0) शिविरों के लिए विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा संकाय (डीन एजूकेशन फैकेल्टी)/कुल सचिव या उनके द्वारा नामित प्राधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

26. मण्डलीय सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त गण बिन्दु 24 एवं 25 में वर्णित नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनके सहयोग से शत् प्रतिशत उपलब्धि के लिए कार्य करेगें।
27. उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी बिन्दु की अवहेलना की स्थिति में शिविर की अनुमन्यता/प्रमाणपत्र निर्गमन की प्रकिया बॉधित हो सकती है।

(अ) पाठ्यकम –<u>(डी0एल0एड0/बी0एड0 डी0पी0एड0/बी0पी0एड0)</u>

1. स्काउटिंग गाइडडिंग के आधारभूत तत्व।
2. स्काउटिंग गाइडडिंग की उत्पत्ति एंव प्रसार।
3. स्काउटिंग गाइडिंग की विभिन्न शाखाएं।
4. कब/बुलबुल स्काउट/गाइड रोवर/रेंजर के विकास के कार्यक्रम।
5. यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
6. गांठ एंव बन्धन (द्वितीय सोपान तक)
7. ध्वज शिष्टाचार (कब/बुलबुल स्काउट/गाइड रोवर/रेंजर पृथक पृथक)
8. वर्दी,स्माटनेंस, गुड आर्डर एवं संकेत।
9. दिशा ज्ञान,खोज के चिन्ह, अनुमान लगाना।
10. कैम्पिंग एवं हाइकिंग।
11. समारोह एंव प्रदर्शन।
12. विभिन्न प्रकार के अलकरण/पुरस्कार।
13. अर्न्तराष्ट्रीय परियोजनाएं जैसे–मैसेन्जर्स आफ पीस, सर्फरस्मार्ट, फ्रीबीइंग मी, आदि।
14. प्राथमिक सहायता।
15. संलग्न –(ब) शिविर आख्या का प्रारूप –

कम	नाम प्रतिभागी	पिता/पति का नाम माता का नाम	आधार नं0–	ई0मेल	वाट्सएप नं0–

प्रशिक्षक मण्डल का नाम एवं स्काउटिंग योग्यता

1..

2..

3..

संस्थान के निदेशक/प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर.............

सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) के हस्ताक्षर एवं मुहर...........................

प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)

प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)

र

भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0।

प्रादेशिक मुख्यालय,गोल मार्केट महानगर लखनऊ

बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शिविर का विवरण

मण्डलः--------------------- जनपद -------------

महाविद्यालय/संस्थान का नाम :---

शिविर की तिथियॉ ------------------ से --------------------तक

प्रतिभागी– छात्राध्यापक [ ] छात्राध्यापिकाएं [ ] कुल योग [ ]

कोर्स स्टाफ का विवरण (स्काउट विंग)

क्रम सं0	नाम प्रशिक्षक	पद/दायित्व	स्काउटिंग में योग्यता	मो0 नं0

कोर्स स्टाफ का विवरण (गाइड विंग)

क्रम सं0	नाम प्रशिक्षिका	पद/दायित्व	गाइडिंग में योग्यता	मो0 नं0

बी0एड0/डी0एल0एड0 प्रशिक्षण शुल्क भुगतान हेतु निर्देश

1– महाविद्यालय को केवल रू.2500 प्रति छात्र प्रशिक्षण शुल्क देना है, जिसमें से 150.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के नाम ड्राफ्ट/RTGS/NEFT/के माध्यम से तथ्ज्ञ रू.100.00 प्रति छात्र/छात्रा जिला संस्था के नाम चैक/बैक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा

2– प्रादेशिक मुख्यालय को देय धनराशि प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड,उ0प्र0 लखनऊ के नाम से बैंक ड्राफ्ट या आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / मनी ट्रांसफर के माध्यम से प्रदेश के खाते में निम्नानुसार भेजी जाय:–

खाते का नाम	प्रादेशिक सचिव,उ0प्र0 भारत स्काउट एण्ड गाइड।
खाता संख्या	10122401342
बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा (**Branch**) का नाम	जवाहर भवन लखनऊ
आई0एफ0एस0 कोड	**SBIN 0006144**

जिला संस्था की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि जिला अंश रू. ————————(शब्दो में) ———————— बैंक ड्राफ्ट या **RTGS/NEFT/**मनी ट्रांसफर के माध्यम से दिनांक ———————— को जिला संस्था के कोष में प्राप्त हो गया है। महाविद्यालय के पक्ष में जिला संस्था की रसीद सं0 ———————— दिनांक ———————— निर्गत की गई ।

ह0 जिला सचिव

नाम ————————

मुहर

प्रादेशिक संस्था के प्रयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रदेश अंश रू. ————————(शब्दो में) ———————— बैंक ड्राफ्ट या **RTGS/NEFT/**मनी ट्रांसफर के माध्यम से दिनांक ———————— को प्रादेशिक संस्था के खाते में जमा किया गया। महाविद्यालय / जिला संस्था के पक्ष में रसीद सं0 ———————— दिनांक ———————— निर्गत की गयी।

लेखाकार
भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0